(2) मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक,2024 (क्रमांक 26 सन् 2024) का पुरःस्थापन.

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय :-प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 का पुरःस्थापन करता हूं.

(3) मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक,2024 (क्रमांक 22 सन् 2024)

राज्यमंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी)—अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक,2024 पर विचार किया जाये.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं.

राज्यमंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी)— अध्यक्ष महोदय, मां शारदा देवी मंदिर पूर्व में तहसील मैहर जिला सतना के अंतर्गत था, किन्तु 5 अक्टूबर,2023 को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मैहर को नवीन जिला गठित किया गया है, इस कारण से मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम,2002 की धाराओं में संशोधन किया जाना आवश्यक है. मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम,2002 में किये जाने वाले प्रमुख संशोधन इस प्रकार से हैं. इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2002 की जिन धाराओं में जिला "सतना" अभिप्रेत था उसके स्थान पर जिला-"मैहर" किया जाना है. जिला न्यायालय सतना के स्थान पर सक्षम न्यायालय मैहर किया जाना है. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के स्थान पर भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 किया जाना है.

श्री बाला बच्चन(राजपुर)- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश मां शारदा देवी अधिनियम, 2002 में संशोधन किये जाने के लिये जो संशोधन विधेयक लाये हैं. इसमें मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि एक तो आप जो बिन्दु क्रमांक- 3 की धारा-5 में जो संशोधन कर रहे हैं तो आपका पहले का जो मूल अधिनियम है उसमें समिति का उल्लेख था,लेकिन आप अब जो संशोधन करने जा रहे हो, इसमें कहीं भी समिति का उल्लेख नहीं है.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले मुझे मालूम है कि 2002 में जो अधिनियम जो बना था उसमें अशासकीय सदस्यों को इसमें रखा गया था. लगभग 10 से 12 अशासकीय सदस्य थे, धीरे-धीरे करके उसकी संख्या 4 हो गयी और 4 के बाद शायद 1 ही बची है, तो मैं एक तो यह जानना चाहता हूं कि समिति में शासकीय और अशासकीय सदस्यों की कितनी संख्या है और क्या अशासकीय सदस्यों की संख्या समाप्त कर दी गयी है और यदि ऐसा कर रहे हैं तो यह मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा. मेरे यहां राजपुर विधान सभा क्षेत्र ठीकरी में एक बहुत बड़ा साईं बाबा का मंदिर है. जैसे अशासकीय सदस्यों को निकाला गया तो उसके बाद ना तो तहसीलदार, एस.डी.एम. या कलेक्टर किसी के बस में वहां कोई व्यवस्था नहीं बची है. वहां पर जो भण्डारे होते थे,समय पर जो आरती और पूजापाठ होती थी, वह समाप्त हो गयी है. अब वहां पर धीरे-धीरे जो साधन थे और वहां पर जो पंखे थे वह भी सभी उखाड़ दिये गये. आपने इसमें यह कहा कि 5 अक्टूबर, 2023 को मैहर नया जिला बना, इस कारण से सतना की जगह मैहर किया गया. हर जगह इस संशोधन विधेयक में यह लिखा गया है, लेकिन मात्र इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी बातों ने छिपाया है.

माननीय मंत्री जी आपकी जानकारी में यह है कि क्या समिति में अशासकीय सदस्यों को रखेंगे और दूसरा धारा-33 में आपने जो उल्लेख किया है कि धारा -33 में आप जो संशोधन चाहते हैं वह इसमें भूमि अर्जन से संबंधित है. इसकी प्रक्रिया से राज्य सरकार ने अपने आप कों दूर कर लिया है.

माननीय मंत्री जी, इस संशोधन अधिनियम से तो आपके भी अधिकार भी खत्म हो जायेंगे. आपने भूमि अर्जन से संबंधित भी सारी प्रक्रिया को कलेक्टर स्तर पर छोड़ दिया है. आप इन दोनों चीजों पर ध्यान दें कि अशासकीय सदस्यों को समिति में रखेंगे या नहीं. क्योंकि जिन्होंने अभी तक मां शारदा के मंदिर की स्थापना की है और उसकी अभी तक जो देखरेख, जो पूजापाठ करते हैं उनको हटाने के बाद में क्या स्थिति बनी है. दूसरा जो भूमि अर्जन का जो मामला है वह कलेक्टर स्तर पर आप करेंगे तो कलेक्टर अपनी मनमानी करेंगे. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने इसमें और भी जो बातें छिपायी हैं. आपने इसमें आपने लिखा है कि " भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" स्थापित किया जाये. इसके मूल अधिनियम में आपने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है, जो मूल अधिनियम है उसमें तो आपने इसका कहीं पर उल्लेख नहीं किया है. हम कहां से यह जानकारी जुटायेंगे और कहां से हम इसको पढ़ेंगे. यह तो मैंने कैसे जानकारी निकाली, मैं इस बात को जानता हूं. इसका पहले आप उल्लेख करें कि आपने इसको मूल में क्यों नहीं डाला है उसके बाद कहां से यह मूल अधिनियम आपने इसमें नहीं रखा गया है और इसके उपबंध धारा-33 में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है. आपको खुद को इसकी जानकारी है कि जब कलेक्टर अपने लेवल पर भू-अर्जन की प्रक्रिया में कलेक्टर खुद अपने लेवल पर शामिल होगा तो उतना उसका निराकरण नहीं कर पायेंगे. राज्य सरकार खुद अपने अधिकारों को खत्म कर रही है. दूसरा समिति, जिसमें अशासकीय सदस्य होना चाहिये, उनको आप क्यों वंचित कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस बिल पर सिर्फ 15 मिनट का समय नियत है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अपनी बात रखें.

श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (मैहर) - अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा. यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 वर्ष मैहर को जिला बने हुए हो गया है, उसमें एक त्रुटि थी कि उसके अध्यक्ष जो थे वह सतना कलेक्टर थे. मैहर कलेक्टर को अधिकार नहीं था. मैहर कलेक्टर वहां की अध्यक्ष नहीं थीं, इसलिए वहां का पूरा विकास रुका हुआ था. अब इस विधेयक के आने से मैहर की कलेक्टर उसकी अध्यक्ष हो गई. अभी

जो माननीय सदस्य पूछ रहे थे उसके लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि जो 4 प्राइवेट सदस्य होते हैं, वह 4 सदस्य रहेंगे, उसमें केवल यह बदला गया है कि कलेक्टर सतना की जगह कलेक्टर मैहर अध्यक्ष होंगी. उससे मैहर का विकास हो पाएगा, वहां सारी व्यवस्था हो पाएगी. मां शारदा लोक का गठन भी हो गया है, इसके कारण सारा काम रुका हुआ था, इसलिए यह विधेयक लाया गया है.

श्री फूल सिंह बरैया (भाण्डेर) - अध्यक्ष महोदय, यह शारदा देवी जो ट्रस्ट है. मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो सदस्य हैं शासकीय और अशासकीय, क्या इन सदस्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं या नहीं हैं? अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग इसमें शामिल नहीं हैं तो यह ट्रस्ट जो है वह संविधान के अनुसार सत्य नहीं है. यही नहीं अध्यक्ष महोदय, यह भी खुलासा करें कि धर्मस्व का मतलब केवल एक धर्म से ही नहीं है. हमारा भारत का संविधान जो बाबासाहेब ऑम्बेडकर ने बनाया, सेक्युलरिज्म उसमें दिया है. हमारी सेक्युलर कंट्री है तो सेक्युलर कंट्री में क्या सभी धर्मों के लिए यह प्रावधान है और उसका खुलासा भी करें.

श्री गौरव सिंह पारधी - बाबासाहेब ने जो प्रावधान बनाया था उसमें सेक्युलरिज्म शब्द नहीं था. बाद में उसको जोड़ा गया है यही मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा.

श्री फूल सिंह बरैया - भारत के संविधान की जो आत्मा है वह सेक्युलरिज्म की है, अगर बाद में जोड़ा भी गया है तो सेक्युलरिज्म, आत्मा नहीं होती तो जुड़ता ही नहीं. पहले परिस्थिति थी, जब संविधान बनाया गया था 26 जनवरी, 1950 को जब संविधान सभा को सौंपा गया था. इस विषय पर भी डिस्कशन हुआ था.

डॉ. सीतासरन शर्मा (होशंगाबाद) - अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंट ऑफ आर्डर है. इस संशोधन में तो यह बात है ही नहीं. एक लाईन का संशोधन है. सतना की जगह मैहर किया जाय. इसमें कोई बात आई नहीं, आ ही नहीं रही है.

श्री सोहनलाल बाल्मीक- बाबासाहेब ऑम्बेडकर के बारे में बोल रहे हैं तो क्या शर्मा जी को बुरा लग रहा है?

डॉ. सीतासरन शर्मा - नहीं, ऐसा नहीं है. संदर्भ आए तो खूब बोलिए. बिना संदर्भ के कैसे बोलेंगे? विधान सभा तो नियम से चलेगी कि कहीं भी कुछ भी बोलेंगे.

श्री सोहनलाल बाल्मीक- अध्यक्ष महोदय, संविधान के बारे में नियम में बदलाव आता है तो कहीं न कहीं बाबासाहेब का नाम आएगा ही. इसमें डॉ. साहब को बुरा नहीं लगना चाहिए.

डॉ. सीतासरन शर्मा - माननीय, विधान सभा नियम से चलेगी. इसमें यह कहां से भर दिया.

अध्यक्ष महोदय - 15 मिनट हैं फिर आपके यहां के 3 सदस्य रह जाएंगे. मैं नहीं जानता. बरैया जी आप संक्षिप्त करें और किसी को बुरा नहीं लगेगा ऑम्बेडकर जी के नाम पर लेकिन विषय के अंतर्गत रहो.

श्री फूल सिंह बरैया - अध्यक्ष महोदय, विषय ही है. यह विषय से बाहर नहीं है. भारतीय संविधान विषय में नहीं है तो फिर विषय भी क्या है? पहले तो आप ही ने जब हम सब सदन में आए थे, संविधान की कापी आपने दी थी. क्या उस संविधान को हम आऊट करके रखें. जब संविधान सामने आता है तभी हम लोगों को मौका मिलता है. संविधान नहीं होता तो हम होते ही नहीं तो आप हमारे ऊपर टिप्पणी करते ही नहीं. हम तो जाने कहां होते? मैं यह कह रहा हूं कि अगर एक धर्म का अगर कोई ट्रस्ट है तो उस धर्म में सारे सदस्य सारे लोग जिनको आप हिन्दू कहते हैं वह शामिल होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं हिन्दू या सनातनी.

अध्यक्ष महोदय - ठीक है आपकी बात आ गई.

श्री फूल सिंह बरैया - आ गई तो फिर उसके लिए जानकारी भी दी जाय. मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जानकारी दें और संविधान का सम्मान भी करवाएं, यह भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं. धन्यवाद.

डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह (अमरपाटन) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 लाया गया है इसका बड़ा सीमित उद्देश्य है जो मैं समझ पा रहा हूँ. एक तो मैहर नया जिला बन गया है उसमें मैहर और अमरपाटन दो विधानसभा क्षेत्र हैं. मैहर कलेक्टर पुर:स्थापित होना चाहिए. वह सही है. काम वैसे ही चलेगा और दूसरा उसके लिए भूमि या भवन जो आवश्यक होगा, उसके अधिग्रहण हेतु समिति अनुशंसा करेगी और राज्य सरकार अनुमति देगी. तत्पश्चात् वह सब वेस्ट हो जाएंगे. अधिग्रहण पश्चात् वेस्ट हो जाएंगे. मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूँ.

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि इसमें श्री फूलसिंह बरैया जी ने कहा. वहां के माननीय विधायक जी ने इसका उल्लेख किया है कि 4 सदस्य जनप्रतिनिधियों के बीच से आएंगे, जनता के बीच से आएंगे, तो जो एक संशय था, तो इन्होंने दूर किया. उसको बढ़ाया भी जा सकता है और एसटी, एससी वर्ग के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है. दूसरा मेरा सुझाव यह है कि नवीन जिले में दो

ही विधानसभा क्षेत्र हैं. सारी सुविधाएं मैहर को ही दी जा रही हैं. मां शारदा का मंदिर वहां स्थित है. हालांकि अमरपाटन में हमारे घर से जब दिन बहुत साफ रहता है, तो ऊपर छत में बैठने पर त्रिकुट पर्वत पर मंदिर दिखाई देता है. उनकी शरण में हम लोग भी हैं. मैं कहना चाहता हूँ कि जो सदस्य नॉमिनेट हों, उसमें अमरपाटन के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है, ऐसा मेरा सुझाव है. दो ही क्षेत्र बचे हैं. पहले सतना जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र थे, तो पहले थोड़ा-सा संभव नहीं था लेकिन अब किया जा सकता है, तो इस पर विचार किया जाए. यदि अभी नहीं कर सकते, तो आगे संशोधन ले आएं. अमरपाटन को भी उसमें शामिल किया जाए और तीसरा सुझाव यह है कि रोप-वे में सुधार की आवश्यकता है तो यह विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मैं जानकारी के लिए दिये देता हूँ. आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री कैलाश कुशवाह (पोहरी) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद. धर्मस्व विभाग के संबंध में मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक की बात चल रही है तो मेरा निवेदन है कि हमारे जिले में भी धर्मस्व विभाग की काफी जमीनें हैं, पता नहीं किसमें कितनी जमीनें हैं, कितना पैसा आ रहा है. हमारे यहां मंदिरों के लिए ट्यूबवेल मांगा जाता है, मंदिरों की जो क्षति हुई है, उसके लिए काम मांगा जाता है तो मेरा यह निवेदन है कि धर्मस्व विभाग की जो जमीनें हैं, उसका हिसाब रखा जाए. सरकारी समिति बनायी जाए और उन पैसों को स्कूलों में लगाया जाए. आज भी कई स्कूलों में हमारे बच्चे जमीनों पर बैठ रहे हैं. स्कूलों में व्यवस्था नहीं है तो धर्मस्व विभाग की जमीनों का पैसा स्कूलों में लगाया जाए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ. बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री विक्रम सिंह (अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल बाल्मीक (परासिया) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मां शारदा देवी मंदिर विधेयक के संबंध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. जैसा कि माननीय श्री बाला बच्चन जी ने जो बातें आगे बढ़ायीं हैं निश्चित रूप से संशोधन में जो त्रुटियां दिखाईं हैं और बिन्दुओं में जो त्रुटियां बतायी हैं सबसे पहले तो उसमें सुधार करना चाहिए और समिति के संबंध में जो बात कही है, उसको भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ाना चाहिए. निश्चित रूप से पूरे मध्यप्रदेश के अंदर मां शारदा के लिए सबकी आस्था जुड़ी हुई है, भावना जुड़ी हुई है. कोई ऐसा फैसला इस सदन से न हो जाए, ताकि आने वाले समय में मंदिर के संधारण में या उसके संचालन में कोई दिक्कत हो या किसी विवाद की स्थिति निर्मित न हो. इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे संशोधन की कार्यवाही करनी चाहिए. मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि मध्यप्रदेश के अंदर

में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनको शासन के द्वारा संचालित किया जाता है लेकिन उन मंदिरों का शासन द्वारा जिस तरह से संचालन होना चाहिए, देखरेख होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है. मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुसमी हनुमान मंदिर है जिसको शासन संचालित करता है और शासन द्वारा संचालित करने के बाद में उसमें जो व्यवस्था बननी चाहिए, वह नहीं बन पा रही है. मैंने धर्मस्व न्यास विभाग को कई बार पत्र लिखकर दिया है कि शासन द्वारा संचालित जो मंदिर हैं, उसके जीर्णोद्धार का भी काम होना चाहिए. कुसमी हनुमार मंदिर मेरे विधानसभा क्षेत्र का मंदिर है. वहां बहुत श्रद्धालु आते हैं. सबकी भावना एवं आस्था जुड़ी हुई है. आपके माध्यम से मैं धर्मस्व विभाग के माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उनके जीर्णोद्धार के लिये कोई न कोई राशि उपलब्ध करवाये ताकि उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो सके तथा उसका संचालन शासन के द्वारा निर्धारित होकर के ठीक से चले यही मेरी आपसे प्रार्थना है.

श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं. मूल रूप से अधिनियम में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है. केवल सतना की जगह पर मैहर किया गया है. बाकी जैसे समिति पहले होती थी चार सदस्यों की अशासकीय समिति आगे भी रहेगी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. दूसरी बात माननीय सदस्य जी ने कही कि यह जो भूमि अर्जन अधिनियम पहले मूल अधिनियम 1894 का भू-अर्जन अधिनियम लागू था. लेकिन अब भारत सरकार की नई गाईड लाईन के अनुसार भूमि-अर्जन अधिनियम 2013 है . केवल यहां पर ही नहीं पूरे देश में भूमि-अर्जन प्रक्रिया लागू है. कलेक्टर उसमें सक्षम अधिकारी है. तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में जो नियम लागू है. उस नियम में कोई बदलाव करना चाहिये. हमारे माननीय सदस्य श्री फूल सिंह बरैय्या जी ने कहा कि समिति में एस.सी. एस. टी. एवं अन्य वर्ग के सदस्य भी हों तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सदस्यों को योग्यता के अनुसार समिति में शामिल किया जाता है. मंदिर के ट्रस्ट में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. उसमें यह भी नहीं है कि एस.सी.एस.टी. के व्यक्ति को बना नहीं सकते हैं. उसमें केवल एक बात है कि आरक्षण का प्रावधान नहीं है. जो व्यक्ति योग्य है, जनप्रतिनिधियों से बात करके वहां के स्थानीय लोगों से बात करके जो नाम आते हैं उन्हीं में अपन चयन करके यह सदस्य बनाते हैं.

श्री फूलसिंह बरैया---(xxx)

श्री राकेश सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टिप्पणियों को विलोपित किया जाना चाहिये. यह सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़ने वाली टिप्पणी है.

अध्यक्ष महोदय—इसको कार्यवाही से निकाल दें.

श्री फूल सिंह बरैया—एस.सी.एस.टी का नाम आते ही सामाजिक सौहार्द्र कैसे बिगड़ रहा है ?

डॉ.सीतासरन शर्मा—हमारे यहां पर मंदिरों में शेड्यूल कास्ट व अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य हैं. मैं उस मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं. माननीय बरैया जी को उस मंदिर के लिये निमंत्रण दे देंगे.

श्री फूलसिंह बरैया—(xxx)

अध्यक्ष महोदय—बरैया जी आप क्यों विषयान्तर हो रहे हैं. इसको भी कार्यवाही से निकाल दें.

श्री फूलसिंह बरैय्या—अध्यक्ष महोदय,उनको भी तो आप बताईये ना.

अध्यक्ष महोदय—यह इस विषय से संबंधित नहीं है.

श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी—माननीय अध्यक्ष महोदय,आरक्षण नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि एस.सी.एस.टी के लोगों को लिया नहीं जा सकता है.

अध्यक्ष महोदय—यह बात पहले भी कह चुके हैं.

श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी—माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल आरक्षण के आधार पर लिया जाये तो मैं इस बात का समर्थक हूं कि बिना आरक्षण के भी लिया जाये तो यह अच्छी परम्परा जायेगी. तो अपन प्रयास करेंगे कि बिना आरक्षण के भी हम एस.सी.एस.टी.सदस्यों को देंगे.

डॉ.राजेन्द्र कुमार—अध्यक्ष महोदय, यह आश्वासन दे दें ना रखा जायेगा. यह प्रशासकीय निर्णय होगा और संशोधन लाकर के रखा जायेगा.

अध्यक्ष महोदय—उन्होंने बता तो दिया.

श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी—माननीय अध्यक्ष महोदय,बिना आरक्षण के भी हम एस.सी.एस.टी सदस्यों को देंगे.

श्री बाला बच्चन – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात नहीं आई है. मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, जहां तक मेरी जानकारी है, उस समिति में केवल एक ही सदस्य है. दूसरी बात इसमें बताई गई है कि भूमि अर्जन के अतिरिक्त दूसरी जो तोषण की राशि दी जाएगी, उसका क्या परसेन्टेज रहेगा. अलग अलग खाते पर, खसरे पर मालिकों के अनुसार आज जो इससे संबंधित संशोधन विधेयक पूरे प्रदेश में लागू हो तो तोषण की राशि का परसेन्टेज क्या रहेगा, मैन भूमि अर्जन के अतिरिक्त, उसको भी स्पष्ट कर दें माननीय मंत्री जी.

अध्यक्ष महोदय – बच्चन जी उन्होंने कहा न कि चार सदस्य रहेंगे.

श्री बाला बच्चन – चार सदस्य इसके अलावा जो मेरी दूसरी बात थी, भूमि अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त दूसरी जो तोषण की राशि का बताया गया है, उसका क्या परसेन्टेज रहेगा. अलग अलग खातेदारों के हिसाब से क्योंकि आज जो संशोधन विधेयक आ रहा है वह तो पूरे देश के मंदिरों के लिए आ रहा है .

श्री मोहन सिंह राठौर – पहले से साढ़े नौ सौ हेक्टेयर जमीन पहले से है.

श्री बाला बच्चन – केवल आपके शारदा देवी मंदिर तक की बात नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो राज्य सरकार के अधिकारों को आप कलेक्टर लेवल तक खत्म करने जा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में जो अलग अलग खातेदारों की तोषण की राशि का जो उल्लेख किया गया है वह भूमि अर्जन की राशि के अतिरिक्त उसका परसेन्टेज कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी डेफिनेशन तो इस संशोधन विधेयक में है ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया है.

अध्यक्ष महोदय –बच्चन जी, यह कोई विषय नहीं है ऑलरेडी उनके पास लैंड हैं.

श्री बाला बच्चन – लेकिन इसमें भी इन्होंने 1892 के आसपास जमीन का जो बताया है, तो ये पूरे मध्यप्रदेश में लागू होगा तो अलग अलग खातेदारों के अनुसार वह तोषण की राशि को कैसे डिसाइड करें, वह भी डिसाइड हो जाना चाहिए, एक स्पेसिफाइड फिगर यहां आ जाना चाहिए. उसकी डेफिनेशन हो जानी चाहिए.

अध्यक्ष महोदय - बच्चन जी मंत्री जी का जवाब आने दीजिए.

श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी - माननीय अध्यक्ष जी भू अर्जन अधिनियम प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाएगा और अध्यक्ष जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया जाए.

श्री बाला बच्चन – अभी अध्यक्ष जी ने आपको बोला नहीं, आप पारित करने की बात कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक 2024 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि खंड 1 विधेयक का अंग बने.

खंड 1 विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व(श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) –

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर(संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर(संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

श्री भंवर सिंह शेखावत – अध्यक्ष जी, सुबह से प्रमुख लोग जो जवाबदार हैं ट्रेजरी बेंच पूरा खाली पड़ा हुआ है, जो जवाबदार लोग है कोई विधान सभा में आते ही नहीं है. इतना महत्वपूर्ण समय है, एक दो जवाबदार लोगों के ऊपर छोड़ दिया, प्रहलाद जी को बैठा दिया गया और पूरी ट्रेजरी बेंच खाली पड़ी है, ये क्या चला रहे हैं, प्रहलाद जी को मैं धन्यवाद देता हूं. आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी विराजमान है, कहां है, सब लोग. क्यों इस संदन को गंभीरता से लेते नहीं हैं.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) – अध्यक्ष जी, संसदीय परम्परा में अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहता है तो उपस्थिति मान ली जाती है, परम्परा है. 8 से 10 तो कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आप ऐसी बात मत लाइए.